


अधिकारी एवं  
श्रीर के मॉड प्रस्तुत अर्जी नार 2022  
में खारिज होने से वापस इस न्यायालय  
को प्राप्त हुई। पत्रावली में आवक दिनांक  
गनी। वादीगण की ओर से श्री विमल  
मोदी एडवोकेट उपस्थित आये तथा उतिवादी  
गण की ओर से श्री डी अशुवाल एडवोकेट  
उपस्थित आये। पत्रावली वाले जवाब  
जुअर एतराज दिनांक 27/4/2022 को  
पेश है।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

27/4/2022 पत्रावली पेश हुई। वाले जवाब  
जुअर एतराज दिनांक 9/5/2022 को  
पेश है।



09 05  
2022

पत्रावली पेश हुई। वरुवाय उभय पक्ष  
उपस्थित। एतराज धर्मन पत्र पर वकील  
उतिवादी कोई कार्यवाही नहीं चाहते  
हैं। अतः एतराज जुअर खारिज किता  
जाता है। वकील वादीगण ने अनुरोध  
किया कि मेरा दायरा मुख्यतः बरवारे व



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

हैं। जिसमें प्राप्तिदु डिरी जारी होकर विनाजन  
 प्रस्ताव प्रप्ट हो चुका है। अतः विनाजन  
 प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी. क्रियाकारी  
 वकील प्रतिवादी ने बताया कि पदाकारण में  
 आपस में राजीनामा हो गया है। विनाजन  
 प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिरी  
 क्रिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं  
 है। बहुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली  
 एवं विनाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पता  
 गया कि निर्णय दिनांक 19/6/2019 की पत्रावली  
 में तहसीलदार नीलकण्ठ द्वारा पदाकारण /  
 खातेदार के मध्य विद्यमान विनाजन का  
 विनाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है जिससे  
 उभय पक्ष भी सहमत हैं। अतः मुताबिक  
 विनाजन प्रस्ताव दावा वारीगण अन्तिम रूप से  
 डिरी क्रिया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर  
 दावा वारीगण मुताबिक विनाजन प्रस्ताव  
 तहसीलदार नीलकण्ठ के पत्रांक 5542 भू-म.। 9  
 दिनांक 18/7/19 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम  
 रूप से डिरी क्रिया जाता है। दावा वारीगण व  
 प्रतिवारीगण दोनों विनाजन प्रस्ताव अनुसार प्रप्ट-  
 प्रप्ट क्रिया खातेदार का मतानुसार होकर क्रिया  
 जाता है। विनाजन प्रस्ताव मय नम्बरा डिरी  
 का भाग समझा जावे। तदनुसार राजस्व  
 रिपोर्ट में अमल दरामद हेतु पकी डिरी मुतीव  
 हो। पत्रावली फंसम शुमार होकर नम्बर से  
 काम होकर दावा दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)  
 सप्लाइ अधिकारी  
 नामकाथाना (सीकर)